बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0–1 / प्रशि0(प्रा0प0अनु0 जा0)–20–01 / 2011

2961
05.12.17

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल मार्ग
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 से स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से सहरसा प्रमंडल के सहरसा, पूर्णियाँ प्रमंडल के पूर्णियाँ एवं मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर में एक–एक नये प्राक्–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं पदों की स्वीकृति, वर्ष–2011–12 में गैर योजना व्यय समिति से संचालन की स्वीकृति प्राप्त प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों यथा, गया, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर (आरा) में पदों की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2009–10 से चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के परिसर में संचालित Student Guidance Centre प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2 राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत पूर्व से संचालित एवं नवसृजित प्राक् परीक्षा केन्द्रों के लिए निम्न प्रकार पदों के सृजन, नये मानदेय दर एवं अन्य मद पर व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती हैः–

(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु 3 नये केन्द्रों यथा सहरसा, पूर्णियाँ एवं मुंगेर में एक–एक प्राक्–परीक्षा केन्द्र के संचालन एवं संलग्न विवरणी–1 में उल्लेखित पदों के सृजन की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र गया, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर (आरा) के लिए मानदेय के आधार पर संलग्न विवरणी–1 में उल्लेखित पदों के सृजन की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2009–10 से चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के परिसर में संचालित Student Guidance Centre के माध्यम से CAT एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की स्वीकृति दी जाती है।

(iv) सभी प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों को संबंधित जिलों में उपलब्ध सरकारी भवन या किराया नियंत्रण नियम (Rent Control Act) के तहत निर्धारित दर पर किराये के मकान में संचालित करने की स्वीकृति दी जाती है।

(v) वित्तीय वर्ष–2006–07 से स्थायी रूप से स्वीकृत 3 केन्द्रो यथा–पटना, भागलपुर एवं दरभंगा, वित्तीय वर्ष–2011–12 में गैर योजना व्यय समिति द्वारा स्वीकृत 4 केन्द्रों यथा–गया, आरा(भोजपुर), छपरा(सारण) एवं मुजफ्फरपुर एवं नये 3 केन्द्रों यथा– सहरसा, पूर्णियाँ एवं मुंगेर तथा चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के माध्यम से CAT/GMAT प्रशिक्षण पर स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से आवर्ती एवं अनावर्ती कुल संभावित व्यय ₹24941000.00/- (दो करोड़ उनचास लाख एकतालीस हजार) की स्वीकृति दी जाती है।

3– योजना के संबंध में निर्धारित दिशा निर्देशः–

(क) **प्रशिक्षण केन्द्र का वार्षिक कार्यक्रमः–** प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर 60–60 विद्यार्थियों के दो बैच (प्रशिक्षण अवधि 6–6 माह) संचालित कराये जाएँगे। इस प्रकार एक वर्ष में एक केन्द्र पर 240 विद्यार्थियों को अर्थात् कुल 10 केन्द्रों पर 2400 तथा चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 60 विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करायी जाएगी।

(ख) **कार्यान्वयन एजेंसीः–** विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थान में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा एवं इसका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन प्रमण्डलीय उप निदेशक द्वारा किया जाएगा।

(ग) पात्रता:–

- ✓ छात्र/छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए।
- ✓ बिहार का स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- ✓ जाति– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत होनी चाहिए।
- ✓ छात्र की आय सहित उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर ₹2,50,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) प्रशिक्षण अवधि:– प्रत्येक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की अधिकतम अवधि 6 माह तथा चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान द्वारा CAT/GMAT के प्रशिक्षण के लिए 5 माह की होगी।

5–बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता :–

प्रस्तावित व्यय भार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से अनुसूचित जाति के लिए मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण– उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0012 –प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र–मांग सं0–44, विपत्र कोड सं0–एन0 2225012770012 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

7– इस प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक दिनांक–14.09.2017 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनाक–07.11.2017 में मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

8– इस प्रस्ताव पर सं0–1/प्रशि0(प्रा0पर0अनु0 जा0)–20–01/2011 के टिप्पणी भाग के पृष्ठ– पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9– इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों/विभागों को दी जा रही है।

10– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5.12.17

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/प्रशि(प्रा0प0अनु0जा0)20-01/2011-2961 पटना, दिनांक– 05.12.17

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.12.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/प्रशि0(प्रा0प0अनु0जा0.20-01/2011- 2961 पटना, दिनांक– 05.12.17

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति/निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.12.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/प्रशि0(प्रा0प0अनु0जा0.20-01/2011- 2961 पटना, दिनांक– 05.12.17

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

5.12.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/आ0 वि0(विविध)–02–16/2016 2961 पटना, दिनांक– 05.12.17

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

5.12.17

सरकार के सचिव।

Sanction peak pakshn 2017

विवरणी—1

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण हेतु विभिन्न मदों में प्रति केन्द्रों/पदों की स्वीकृति तथा अनुमानित प्रस्तावित आवर्ती व्यय एवं अनावर्ती व्यय की स्वीकृति की विवरणी:—

क्र0 सं0	पद का नाम	प्रति केन्द्र पदों की संख्या	प्रति केन्द्र मानदेय पर होनेवाली वार्षिक व्यय की राशि	केन्द्रों/पदों की संख्या	कुल वार्षिक व्यय की राशि	अभ्युक्ति
(1)			आवर्ती व्यय			
1	निदेशक	1	₹ 5000/– प्रतिमाह x 12 माह = ₹60000/–	10	600000	प्रतिनियुक्ति के आधार पर विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षक रहेंगे।
2	शिक्षक	-	₹ 800/– प्रति कक्षा x प्रतिदिन 6 कक्षा x 24 दिन x 12 माह =₹1382400/–	10	13824000	प्रतिनियुक्ति के आधार पर विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षक रहेंगे।
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	₹ 13225/– प्रतिमाह x 12 माह = ₹158700/–	10	1587000	संविदा पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से
4	निम्नवर्गीय लिपिक	1	₹15000/–प्रतिमाह x 12 माह ₹180000/–	7	1260000	संविदा पर (शेष 3 केन्द्र में पद स्थायी रूप से सृजित हैं।)
5	कार्यालय उपस्कर	-	(कम्प्यूटर/फोटोकॉपीयर/फैक्स/ आलमीरा/बुक सेल्फ/कुर्सी–बेंच इत्यादि क्रय हेतु) ₹ 50000/–	10	500000	–
6	कार्यालय व्यय	-	₹ 30000/–x 12 माह = ₹ 360000	10	3600000	–
7	मकान किराया	-	₹ 20000/–प्रति माह x 12 माह = ₹240000.00	7	1680000	दरभंगा, भागलपुर एवं पटना में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित है।
8	दूरभाष	-	₹ 2000/–प्रति माह x 12 माह = ₹24000.00	10	240000	–
	कुल		2455100.00	–	23291000	
9	चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के माध्यम से CAT/GMAT प्रशिक्षण पर संभावित व्यय	1	अधिकतम 60 छात्रों के लिए केन्द्र पर संभावित व्यय– कार्यालय व्यय– ₹ 90000 तथा व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ– ₹660000 कुल– ₹ 750000/–	1	750000	आधारभूत संरचना प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य सुविधा चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के द्वारा दिया जायेगा।
	कुल आवर्ती व्यय		₹ 3205100.00	Total	24041000	
(ख)			अनावर्ती व्यय			
	कम्प्यूटर/ फोटो कॉपियर/ फैक्स/आलमीरा/ बुक सेल्फ इत्यादि के लिए प्रति केन्द्र रू0 3,00,000/– प्रथम वर्ष में।		₹ 300000 प्रति केन्द्र	3	900000	3 नये केन्द्रों यथा सहरसा पूर्णिया एवं मुंगेर के लिए।
			कुल व्यय		2,49,41,000.0	–

ज्ञापांक दिनांक

का अनुलग्नक।

4.12.07

सरकार के सचिव